

मूल वाद में अन्तिम डिक्री
बमुकद में ईब्दाई

अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहाय क कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

ठासीन अधिकारी :- जय कौशिक (आर.ए.एस.)
करण संख्या :- 242/2025
द पत्र अं. धारा 53 आर.टी.ए.

बिल्लू सिंह पुत्र गुरदेव सिंह जाति मजहबी निवासी किकरवाली।
सतनाम सिंह पुत्र छिन्द्रसिंह जाति मजहबी निवासी किकरवाली।

वादीगण

बनाम

कालासिंह पुत्र श्री गुरदेव सिंह जाति मजहबी निवासी ढाणी 6 डीएलपी किकरवाली।
पप्पूसिंह पुत्र श्री गुरदेव सिंह जाति मजहबी निवासी ढाणी 6 डीएलपी किकरवाली।
छिन्द्र कौर पत्नी मास्टर सिंह पुत्र गुरदेव सिंह जाति मजहबी निवासी ढाणी 6 डीएलपी किकरवाली।
रमेश सिंह पुत्र मास्टर सिंह पुत्र गुरदेव सिंह जाति मजहबी निवासी ढाणी 6 डीएलपी किकरवाली।
तरसेम सिंह पुत्र मास्टर सिंह पुत्र गुरदेव सिंह जाति मजहबी निवासी ढाणी 6 डीएलपी किकरवाली।
राजू पुत्री मास्टर सिंह पुत्र गुरदेव सिंह जाति मजहबी निवासी ढाणी 6 डीएलपी किकरवाली।
मंजू पुत्री मास्टर सिंह पुत्र गुरदेव सिंह जाति मजहबी निवासी ढाणी 6 डीएलपी किकरवाली।
सर्वजीत पुत्री मास्टर सिंह पुत्र गुरदेव सिंह जाति मजहबी निवासी ढाणी 6 डीएलपी किकरवाली।

तहसीलदार राजस्व संगरिया।

-प्रतिवादीगण

डिक्री

दिनांक :- 2.2.2025

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ जय कौशिक आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई
बहाजरी श्री नवरत्न स्वामी वकील वादीगण मिन जामिन मुदई श्रीवकील प्रतिवादी.....
मन जानिब मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता है एव तहसीलदार भूअ.संगरिया से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव
नुताबिक अन्तिम डिक्री निम्नानुसार दी जाती है:- चक 6 डीएलपी

1. कालासिंह पुत्र गुरदेव सिंह जाति मजहबी निवासी किकरवाली की कब्जा काश्त भूमि :-

प.न.	मु.न.	किला नं.
137/194	42	7/0.253 है. 14/0.253 है. 17/0.253 है.
137/193	36	18/1/0.051

2. पप्पू सिंह पुत्र गुरदेव सिंह जाति मजहबी निवासी किकरवाली की कब्जा काश्त भूमि :-

प.न.	मु.न.	किला नं.
137/194	42	8/0.253 है. 13/0.253 है. 18/0.253 है.

3. बिल्लू सिंह पुत्र गुरदेव सिंह जाति मजहबी निवासी किकरवाली की कब्जा काश्त भूमि :-

प.न.	मु.न.	किला नं.
137/193	36	18/1/0.050, 23/0.253, 24/0.253, 25/1/0.228, 25/2/0.025 गै.मु. खाला.

4. सतनाम सिंह पुत्र छिन्द्र सिंह जाति मजहबी निवासी किकरवाली की कब्जा काश्त भूमि :-

प.न.	मु.न.	किला नं.
137/193	36	18/1/0.051, 19/0.253,
137/194	42	5/1/0.202, 5/2/0.051 गै.मु. खाला 6/1/0.228, 6/2/0.025 गै.मु.

5. मास्टर सिंह पुत्र गुरदेव सिंह जाति मजहबी निवासी किकरवाली की कब्जा काश्त भूमि :-

प.न.	मु.न.	किला नं.
137/193	36	17/0.253, 18/1/0.050,
137/194	42	3/1/0.228, 3/2/0.025 गै.मु. 4/1/0.228, 4/2/0.025 गै.मु.

महायुक्त कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

मूल वाद में अन्तिम डिक्री
वमुकद में ईक्वादाई

अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहाय क कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पोस्टासीन अधिकारी :- 242/2025
क्र. पत्र अं. धान 53 आर.टी.ए.

1. विल्लू सिंह पुत्र गुरदेव सिंह जाति मजहबी निवासी किकरवाली।
2. सतनाम सिंह पुत्र छिन्द्रसिंह जाति मजहबी निवासी किकरवाली।

वादीगण

बनाम

1. कालासिंह पुत्र श्री गुरदेव सिंह जाति मजहबी निवासी ढाणी 6 डीएलपी किकरवाली।
2. पप्पूसिंह पुत्र श्री गुरदेव सिंह जाति मजहबी निवासी ढाणी 6 डीएलपी किकरवाली।
3. छिन्द्र कौर पत्नी मास्टर सिंह पुत्र गुरदेव सिंह जाति मजहबी निवासी ढाणी 6 डीएलपी किकरवाली।
4. रमेश सिंह पुत्र मास्टर सिंह पुत्र गुरदेव सिंह जाति मजहबी निवासी ढाणी 6 डीएलपी किकरवाली।
5. तरसेम सिंह पुत्र मास्टर सिंह पुत्र गुरदेव सिंह जाति मजहबी निवासी ढाणी 6 डीएलपी किकरवाली।
6. राजू पुत्री मास्टर सिंह पुत्र गुरदेव सिंह जाति मजहबी निवासी ढाणी 6 डीएलपी किकरवाली।
7. मंजू पुत्री मास्टर सिंह पुत्र गुरदेव सिंह जाति मजहबी निवासी ढाणी 6 डीएलपी किकरवाली।
8. सर्वजीत पुत्री मास्टर सिंह पुत्र गुरदेव सिंह जाति मजहबी निवासी ढाणी 6 डीएलपी किकरवाली।

श्री लक्ष्मीलदार राजस्व संगरिया।

-प्रतिवादीगण

डिक्री

दिनांक :- 2-2-2021

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ जय कौशिक आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई
महाराष्ट्र के बहाजरी श्री नवरत्न स्वामी वकील वादीगण मिन जामिन मुदई श्रीवकील प्रतिवादी.....
मिन जानिव मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता है एव तहसीलदार भू.अ.संगरिया से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव
मुताबिक अन्तिम डिक्री निम्नानुसार दी जाती है:- चक. 6 डीएलपी

1. कालासिंह पुत्र गुरदेव सिंह जाति मजहबी निवासी किकरवाली की कब्जा काश्त भूमि :-

प.न.	मु.न.	किला नं.
137/194	42	7/0.253 है. 14/0.253 हे. 17/0.253 है.
137/193	36	18/1/0.051

2. पप्पू सिंह पुत्र गुरदेव सिंह जाति मजहबी निवासी किकरवाली की कब्जा काश्त भूमि :-

प.न.	मु.न.	किला नं.
137/194	42	8/0.253 है. 13/0.253 हे. 18/0.253 है.

3. विल्लू सिंह पुत्र गुरदेव सिंह जाति मजहबी निवासी किकरवाली की कब्जा काश्त भूमि :-

प.न.	मु.न.	किला नं.
137/193	36	18/1/0.050, 23/0.253, 24/0.253, 25/1/0.228, 25/2/0.025 गै.मु. खाला.

4. सतनाम सिंह पुत्र छिन्द्र सिंह जाति मजहबी निवासी किकरवाली की कब्जा काश्त भूमि :-

प.न.	मु.न.	किला नं.
137/193	36	18/1/0.051, 19/0.253,
137/194	42	5/1/0.202, 5/2/0.051 गै.मु. खाला 6/1/0.228, 6/2/0.025 गै.मु.

5. मास्टर सिंह पुत्र गुरदेव सिंह जाति मजहबी निवासी किकरवाली की कब्जा काश्त भूमि :-

प.न.	मु.न.	किला नं.
137/193	36	17/0.253, 18/1/0.050,
137/194	42	3/1/0.228, 3/2/0.025 गै.मु. 4/1/0.228, 4/2/0.025 गै.मु.

महायुक्त कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

अतः उक्त वाद अपवादित खाता से संबंधित है पक्षकारान को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया गया है फिर भी यदि किसी पक्षकार का हित एकपक्षीय होने के कारण प्रभावित होता है तो उसका वाद पुनः संस्थित करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा तथा उक्त निर्णय वावत यदि किसी न्यायालय में रथगन आदेश आदि नहीं है तो तहसीलदार संगरिया की अनुशंसा के आधार पर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार भू.अ.संगरिया के पत्र क्रमांक प्रा.डिक्री/भू.अ./2024/5168 दिनांक 19.12.2025 प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिग्री का आवश्यक भाग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन



:- यदि हक हिस्सा प्रभावित नहीं हो तो ऋणि काश्तकार के अलावा डिक्रीत दावे के अन्य पक्षकारों का अमल दरामद कर दिया जावे।

निज......मुक्लिक......बावत......खर्चा मुकदमे के मय शूद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयावी तक......को अदा करे।

वसूल मेरे दरतखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 2-2-2024 को खुले न्यायालय में जारी किया गया।

(जय कौशिक)

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, संगरिया
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया